



प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद-हरदोई, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, सीतापुर, रामपुर एवं अमरोहा के अन्तर्गत असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण की 07 परियोजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-1287/03-72एन.एम./न०मं० लखनऊ 20 अ.राज.नल.पुन:निर्माण/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 22.05.2026, पत्रांक-1285/03-72एन.एम./न०मं० सीतापुर 24 अ.राज.नल.पुन:निर्माण/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 22.05.2026, पत्रांक-1374/03-72ओ.ए./प्रयागराज फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ 35 अ.राज.नल.पुन:निर्माण/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 22.05.2026, पत्रांक-1375/03-72ओ.बी./वाराणसी आजमगढ़ फतेहपुर एवं गाजीपुर 51 अ.राज.नल.पुन:निर्माण/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 22.05.2026, पत्रांक-1048/03-72एन.आई./बागपत व बुलन्दशहर 17 अ.राज.नल.पुन:निर्माण/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 22.05.2026, पत्रांक-1350/03-72एन.क्यू./हरदोई 20 अ.राज.नल.पुन: निर्माण/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 22.05.2026, पत्रांक-1037/03-72एन.जे./रामपुर व अमरोहा 28 अ.राज.नल.पुन: निर्माण/नलकूप(नियंत्रण), दिनांक 22.05.2026 एवं पत्रांक-जी-279/03-72/ विभिन्न परियोजनाओं/2026-27/विभिन्न परियोजनायें/2026-27/ नलकूप (नियंत्रण), दिनांक 06.06.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-94 के लेखाशीर्षक 4702-102-03-0318-24 "असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण" के अन्तर्गत जनपद-हरदोई, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, सीतापुर, रामपुर एवं अमरोहा के अन्तर्गत असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण की निम्नलिखित 07 परियोजनाओं की कॉलम-3 में अंकित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित कुल धनराशि ₹0 9,50,00,000/- (रूपये नौ करोड़ पचास लाख मात्र) व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र०	परियोजना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु परियोजना की लागत	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1	जनपद हरदोई में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 20 अदद असफल नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना	641.01	100.00
2	नलकूप मण्डल मेरठ के अन्तर्गत जनपद बागपत में 13 अदद एवं जनपद बुलन्दशहर के 4 अदद 1.5 क्यूसेक क्षमता के 17 अदद असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना	523.09	100.00
3	नलकूप मण्डल वाराणसी के अन्तर्गत जनपद वाराणसी आजमगढ़, फतेहपुर एवं गाजीपुर में 51 अदद असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना	1691.82	250.00
4	नलकूप मण्डल प्रयागराज के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ में 35 अदद असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना	1077.78	100.00
5	नलकूप मध्य परिक्षेत्र के अन्तर्गत नलकूप मण्डल-सीतापुर के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 24 अदद असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना	684.52	100.00
6	नलकूप मध्य परिक्षेत्र के अन्तर्गत नलकूप मण्डल लखनऊ के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 20 अदद असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना	705.54	100.00
7	नलकूप मण्डल-मुरादाबाद के अन्तर्गत जनपद रामपुर तथा अमरोहा में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 28 अदद असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना	838.58	200.00
कुल योग-			950.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर अनुमोदित कार्य पर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (4) विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
- (6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन कर लिया गया है।
- (7) विभागाध्यक्ष द्वारा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।
- (8) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (9) विभागाध्यक्ष नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराएँ।
- (10) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (11) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।
- (12) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (13) विभागाध्यक्ष अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जाएगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक-25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक-11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- (14) 01 प्रतिशत लेबरसेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,50,00,000 (रुपये नौ करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702001020318 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-8-181-X-2026-27-दिनांक: 2-7-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या-79/2026/ 1206 (1)/2026-001-27-10002(002)/20/2026-10, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
- (4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
- (5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
- (6) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, द्वारा- प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
- (7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
- (8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
- (9) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
- (10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
- (11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।